रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 334] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 8, 1976/आश्विन 16, 1898

No. 334] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 1976/ASVINA 16, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

ORDERS

New Delhi, the 8th October 1976

G.S.R. 835(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Northern Rice Zone (Movement control) Order, 1968, namely:—

1. (1) This Order may be called the Northern Rice Zone (Movement Control) Amendment Order, 1976.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Nothern Rice Zone (Movement Control) Order, 1968,—

(i) in clause 1, for sub-clause (2), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(2) It extends to the States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab and Rajasthan and the Union territories of Chandigarh and Delhi.";

(ii) in the Schedule, after item 4 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

"4A. Rajasthan (i) Head Constable;

(ii) Naib Tahsildar of the Revenue Department;

(iii) Enforcement Inspector of the Food and Civil Supplies Department.".

[No. 4(NRZ) (1)/76-D & R(I)42]

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1976

सा०का०नि० 835 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तरी चावल क्षेत्र (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम उत्तरी चावल क्षेत्र (संचलन नियंत्रण) संशोधन आदेश 1976 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. उत्तरी चावल क्षेत्र (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1968 में—

(i) खण्ड 1 में, उप-खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(2) "इसका प्रसार हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के राज्यों में तथा चंडीगढ़ और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों में होगा।";

(ii) अनुसूची में मद 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

'4 क. राजस्थान (i) प्रधान कांस्टेबुल ;

(ii) नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग ;

(iii) खाद्य तथा सिविल पूर्ति विभाग का प्रवर्तन निरीक्षक।

[सं० 4 (एन आर जेड) (1)/76-डी एण्ड आर (I)-42]

G.S.R. 836(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the Orders issued by the Central Government as specified in the Schedule below:

Provided such rescission shall not affect—

(a) the previous operation of the said Orders or any thing duly done or suffered thereunder; or

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Orders; or

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said Order; or

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid;

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said Orders had not been rescinded.

THE SCHEDULE

1. The Rajasthan Foodgrains (Restrictions on Border Movement) Order, 1959, published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 432, dated the 9th April, 1959.

2. The Rajasthan (Rice Import Restriction) Order, 1960, published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Commmunity Development and Cooperation (Department of Food) No. G.S.R. 696, dated the 17th June, 1960.

3. The Rajasthan Rice (Export Control) Order, 1961, published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 472, dated the 4th April, 1961.

[No. 4(NRZ) (1)/76-D & R(I)42]

L. C. GUPTA, Jt. Secy.

सा० का० नि० 436 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने द्वारा जारी किए गए उन आदेशों को, जो नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, विखंडित करती है ; परन्तु ऐसे विखण्डन का—

(क) उक्त आदेश के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात; या

(ख) उक्त आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यता या दायित्व; या

(ग) उक्त आदेश के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड; या

(घ) यथा पूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार;

पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार वैसे ही संस्थित, जारी या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दंड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो उक्त आदेश विखंडित नहीं किया गया था।

अनुसूची

1. राजस्थान खाद्यान्न (सीमा संचलन पर प्रतिबंध) आदेश, 1969, जो भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 432 तारीख 9 अप्रैल, 1959 के साथ प्रकाशित किया गया था।

2. राजस्थान (चावल आयात प्रतिबंध) आदेश, 1960 जो भारत के भूतपूर्व खाद्य, कृषि सामुदायिक, विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 696 तारीख 17 जून, 1960 के साथ प्रकाशित किया गया था।

3. राजस्थान चावल (निर्यात नियंत्रण) आदेश, 1961 जो भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 472 तारीख 4 अप्रैल, 1961 के साथ प्रकाशित किया गया था।

[सं० 4 (एन आर जेड) (1)/76-डी एण्ड आर (I) 43]

एल० सी० गुप्त, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976